18.7.2023

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा धारा 5 प्रार्थना पत्र संलग्न कर करते हुये कोविड–19 के लॉक डाउन के कारण निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाना अवगत कराया। प्रार्थी की अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.9.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा जानबूझ कर लापरवाही नहीं की गई एक सदभावी चूक है। कोविड 19 का हवाला देते हुये सूचना से अवगत नहीं होना एवं वकील के द्वारा सूचित नहीं किया जाना नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होना कारण बताया। कोराना महामारी के मध्यनजर एवं प्रार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुये न्यायहित में मूल अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये जाने के मध्यनजर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित रहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाजदायरी स्वीकार किया जाता है। मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति मूल अपील में शामिल रहे।

18/7/2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर